रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072024-255716
CG-DL-E-25072024-255716

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2782]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 2024/श्रावण 1, 1946
No. 2782]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 2024/SHRAVANA 1, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2024

का.आ. 2919 (अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्र सरकार, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 7ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 में संशोधन लाने के लिए जारी करने का प्रस्ताव करती है, जनता और उससे प्रभावित होने वाले अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है और एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिसूचना पर केन्द्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की समाप्ति पर या उसके पश्चात ही विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहता है या सुझाव देना चाहता है तो वह निर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को डाक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल पते: mishra.vp@gov.in या vinodsingh.77@gov.in पर लिखित रूप में ऐसा कर सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 जिसे जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित किया गया है, की धारा 7ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पर्यावरण राहत निधि योजना 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

(1) इस योजना को पर्यावरण राहत निधि (संशोधन) योजना, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. पर्यावरण राहत निधि योजना, 2008 (एतश्मिन् पश्चात् जिसे मूल योजना कहा गया है) में, पैराग्राफ (3) के उप-पैरा (4) के खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित खंड को अंत: स्थापित किया जाएगा यथा।

"(iii) (क) अधिनियम के तहत वसूले गए दंड और अतिरिक्त दंड;

(ख) पर्यावरण राहत कोष के निवेश पर अर्जित ब्याज या प्रतिफल।"

बशर्ते कि खंड (iii) के अंतर्गत एकत्रित निधियों की निगरानी निधि प्रबंधक द्वारा पर्यावरण राहत निधि के खातों में अलग से की जाएगी।

3. मूल योजना में पैराग्राफ 7 के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"7ए (1) केन्द्र सरकार, सार्वजनिक दायित्व बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 7 की उपधारा (1) के अनुसार सार्वजनिक दायित्व बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रारूप 1ए में आवेदन प्राप्त होने पर, हुई क्षति की सीमा की जांच करेगी और ऐसी क्षति की भरपाई के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मंजूर की जाने वाली धनराशि का निर्धारण करेगी।

(2) निधि प्रबंधक, पैरा 7ए के उप-पैरा (1) के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली निधि की राशि के संबंध में केन्द्र सरकार की सिफारिश प्राप्त होने पर, आदेश द्वारा, प्रारूप 5 में निधि स्वीकृत करेगा तथा उसे पर्यारण राहत निधि से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वितरित करेगा।

(3) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या निधि प्रबंधक निधियों के उपयोग का समुचित अभिलेख और दस्तावेजीकरण बनाए रखेंगे तथा पर्यावरण सुधार गतिविधियों की प्रगति का ब्यौरा देते हुए केन्द्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(4) केन्द्र सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का संवितरित निधियों के उपयोग की निगरानी करेगी।

4. मूल योजना में, फार्म-II के स्थान पर निम्नलिखित फार्म प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

फार्म-II

क्रम संख्या:

कलेक्टर:

तारीख:

आदेश

मैं एतद्वारा, श्री/श्रीमती/कुमारी...की मृत्यु/चोट के संबंध में जो ऐसे खतरनाक पदार्थों के विनिर्माण, प्रसंस्करण, उपचार, पैकेजिंग, भंडारण, वाहन द्वारा परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, रूपांतरण, बिक्री के लिए पेशकश, हंस्तांतरण के कारण हुई दुर्घटनाओं से हुई है, जो कि ......(इकाई और स्थान का नाम) पर...को हुई थी, मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में श्री/श्रीमती/कुमामरी......या ....(घायल काम नाम) को अंतरिम राहत के रूप में रूपये........(रूपये.....) मंजूर करता हूं।

कलेक्टर के हस्ताक्षर

प्रति:

1. फंड मैनेजर
2. बीमा कंपनी का कार्यालय
3. दावेदार

4. कलेक्टर कार्यालय की फाइल
5. संबंधित स्वामी

5. मूल योजना में, फार्म-IV के पश्चात् निम्नलिखित फार्म अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा:-

फार्म-V

(पैराग्राफ 7ए के उपपैराग्राफ (2) के अंतर्गत)

आवेदन सं.

तारीख

आदेश

मै______________________, एतद्वारा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को -----------(इकाई का नाम और स्थान) को ---------------(तारीख और समय) हुए औद्योगिक प्रचालन के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यथा प्रदर्शित पर्यावरण क्षति की बहाली के लिए---------रूपए स्वीकृत करता है।

संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रति:

1. फंड मैनेजर
2. सीपीसीबी/एसपीसीबी का कार्यालय

[फा. सं. HSM-12/96/2020-HSM]

नरेश पाल गंगवार,अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2024

S.O. 2919(E) – The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sections 7A of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991), for bringing out amendment in the Environmental Relief Fund Scheme, 2008 is hereby published for information of the public and other stakeholders likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the 'Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi - 110003 or electronically at email address: mishra.vp@gov.in or vinodsingh.77@gov.in.

Draft Notification

In exercise of the powers conferred by section 7A of the Public Liability Insurance Act, 1991 which has been as amended by the Jan Vishwas (Amendment of the Provisions) Act, 2023 the Central Government, hereby makes the following amendments in the Environmental Relief Fund Scheme 2008, namely: -

1. Short title and commencement:

(1) This scheme may be called Environmental Relief Fund (Amendment) Scheme, 2024.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In Environmental Relief Fund Scheme, 2008 (hereinafter referred to as the principal scheme), after clause (ii) of sub-paragraph (4) of paragraph (3), the following clause shall be inserted, namely: -

"(iii) (a) penalties and additional penalties collected under the Act;

(b) interest or returns earned on the investments of the Environmental Relief Fund.''.

Provided that the funds collected under clause (iii) shall be monitored separately in the accounts of Environmental Relief Fund by the fund manager.

3. In the principal scheme after paragraph 7, the following paragraph shall be inserted, namely: -

''7A. (1) The Central Government shall, upon receipt of the application in Form 1A of the Public Liability Insurance (Amendment) Rules, 2024 in accordance with sub-section (1) of section 7 of the Public Liability Insurance (Amendment) Act, 2024, scrutinize the extent of the damage caused and determine the amount of funds to be sanctioned to the Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board, as the case may be, for compensating the such damages.

(2) The Fund Manager shall, upon receipt of recommendation of the Central Government as to the amount of fund to be sanctioned under sub-paragraph (1) of paragraph 7A by an order, sanction the fund in Form V, and disburse it from the Environmental Relief Fund to the Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board.

(3) The Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board or Fund Manager shall maintain proper records and documentation of the utilization of funds and shall submit annual reports to the Central Government detailing the progress of environmental remediation activities.

(4) The Central Government shall monitor the utilization of funds disbursed to the Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board.

4. In the Principal Scheme, for **Form-II**, the following Form shall be substituted, namely: -

FORM-II

SERIAL NO:
Collector:
Date

ORDER

I hereby sanction Rs........(Rupees...as an interim relief in respect of the death/injury of Shri/Shrimati/Km.....resulting from accidents due to manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation by vehicle, use, collection, destruction, conversion, offering for sale, transfer of the like of such hazardous substances which took place at......(Name of the unit &

Place) on .... to Shri/Shrimati/Kumari...as the legal representative of the deceased or to .... (Name of the injured).

Signature of the Collector

Copy to:

1. Fund Manager
2. Office of the insurance Company
3. The Claimant
4. Collector office file
5. The Owner concerned

5. In the Principal Scheme, after **Form-IV**, the following Form shall be inserted, namely: -

FORM-V

(under sub-paragraph (2) of paragraph 7A)

Application No:

Date

ORDER

I ____________________ hereby sanction Rs..............(Rupees for restoration of environmental damage as shown by Central Pollution Control Board / State Pollution Control Board resulting from an industrial operation which took place at.....................(Name of the unit & Place) on (date and time) ……….. to Central Pollution Control Board /State Pollution Control Board.

Signature of the Concerned Authorized Officer

Copy to:

1. Fund Manager

2. Office of CPCB/SPCB

[F. No. HSM-12/96/2020-HSM]
NARESH PAL GANGWAR, Add. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA